

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 22/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर, 2024

सा.का.नि.... (अ), - केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक, 19 जुलाई, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 584 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 2022, में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(i) क्र. सं. 2 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जब भूटान के अलावा अन्य देशों को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो " को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्र. सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्र.सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थपित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"3	2710	एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जब भूटान को निर्यात के लिए क्लीयर किया गया हो	शून्य प्रति लीटर" ।

2. यह अधिसूचना 3 सितम्बर, 2024 से प्रवृत्त होगी ।

[फाइल संख्या 190354/257/2023-टीआरयू]

(अमीता टाइटस)

उप सचिव भारत सरकार

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 18/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 19 जुलाई, 2022 जिसे सा.का.नि. संख्या 584 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 2022 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2024-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 अगस्त, 2024 जिसे सा.का.नि. संख्या 525(अ), दिनांक 30 अगस्त, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था